तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/11/25	वास्ते आदेश 25/11/25 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
25/11/25	पत्रा. पेश। वास्ते आदेश 26/12/25 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
26/12/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ... मीटिंग / ... / अवकाश में। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/1/26 को पेश हो।
19/1/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ... मीटिंग / ... / अवकाश में। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/2/26 को पेश हो।
13/2/26	पत्रा. पेश। वास्ते आदेश 20/3/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
20/3/26	वास्ते आदेश 15/4/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
15/4/26	पत्रा. पेश। वादी ने वाद धारा 88, 89, 188 R.T. Act के तहत पेश किया है। वादी का कथन है कि वादी की

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
का माता जतन कुँवर पत्नि रघुनाथ सिंह राक्तावत ग्राम गोयन्दा खसरा न. 848 8 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित है। इसमे से 17 बिस्वा सड़क में चली गई। शेष उक्त भूमि का 8 बीघा 2 बिस्वा शेष है इस भूमि के नया खसरा न. 1070 1.31 हे० बना है वादी की माता का स्वर्गवास 27/01/2001 में हुआ) प्रतिवादी 1, 2 ने 14/09/1998 में समस्या समाधान शिविर में इस भूमि पर फौती इन्तकाल संख्या 685 दिनांक 14/09/1998 तस्दीक करवा लिया। वादी को इसकी जानकारी 2018 में पड़ी जब उक्त भूमि में से National highway का survey हो रहा था वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त में है वादी इन्तकाल संख्या 685 दिनांक 14/09/1998 को निरस्त कराना चाहता है, वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी घोषणा व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा चाह रहा है Che न्यायिक अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रतिवादीगण का कथन है कि उक्त भूमि प्रतिवादी 1 व 2 के खाते चली आ रही है व वही उसको संचालित कर रहे हैं। वादी ने मुआवज़ा राशी प्राप्त करने के लिए वाद पेश किया है। वादीगण ने जतन कँवर की सारे संतानो के बारे में दावे में नही बताया है। प्रतिवादीगण के पक्ष में इन्तकाल 1998 में ही तस्दीक हो गया था। अगर भूमि पर जतन कँवर का कब्ज़ा था, तो इन्तकाल के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी।
	दोनो पक्षो ने साक्ष्य व गवाह पेश किए जिसके आधार पर तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है –
	फोटो इन्तकाल संख्या 685 दिनांक 14/09/1998 खसरा संख्या 848 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा जतन कुँवर के नाम से हटके मोहरबाई व तानीबाई के नाम हुआ जो इनकी पुत्रीया दिखाई गई (प्रदर्श 3)। इस इन्तकाल में इन्होने मृतक जतन कुवर व रघुनाथ सिंह

उपखण्ड अधिकारी
गगगंजमण्डी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के स्थान पर मौदरबाई, जानीबाई पुत्रिया रघुनाथ सिंह दर्ज कराया है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा 848 में नया खसरा 1070 रकबा 1.31 ½ बना है (ex.-6) जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अनुसार बादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी 1 व 2 का नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2041-2045 खसरा 848 8 बीघा 19 बिस्वा रतन कवर बाई के नाम दर्ज है। (ex-4) यह भूमि जतन कुवर बाई के पत्नी रघुनाथ सिंह ने नवल सिंह से 2/11/1961 में खरीदी थी। (ex-10) Exhibit 1 अनुसार जतन कवर पत्नी रघुनाथ सिंह की मृत्यु 25/01/2001 में हुई थी। Exhibit 12 के अनुसार मोर बाई निवासी ग्राम गोयन्दा की माता का नाम पुष्प कवर व पिता का नाम रघुनाथ सिंह है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में भी कहीं नहीं लिखा है कि वह जतन कवर की पुत्रीया है।	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सारे तथ्यो को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि फौती इन्तकाल 685 दिनांक 14/09/1998 गलत दर्ज हो गया था। वादी ने इसकी आपत्ति 2018 में उठाई परन्तु Death certificate से प्रमाणित होता है कि जतन कॅवर की मृत्यु 2001 में हुई। अत: तनकी 1 वादी के पक्ष मे जाती है। 2) वादीगण की प्रार्थना है कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम खारिज करवाके ~~प्रतिवादी~~ वादी को खातेदार घोषित किया जाए। वादी ने जब वाद प्रस्तुत किया था तब सिर्फ धुमान सिंह व सुरेन्द्र सिंह को जतन कवर का वारिसान दिखाया था। प्रतिवादी के जवाब में वारिसान के आपत्ति के बाद ~~वमर~~ वादी ने रघुनाथ सिंह की पुत्रियो को वाद में जोड़ा। अत: TDR रामगंजमंडी को निर्देशित किया जाता है कि जतन कॅवर की विधिक वारिसान

अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के जाँच के उपरान्त पुन: वादग्रस्त आराजी का इन्तकाल खोले। जब तक वादी वादग्रस्त आराजी का फौती इन्तकाल अपने पक्ष में नहीं कर लेता तब तक उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। तनकी 2 व 3 वादी के पक्ष में नहीं जाती। 3) वादीगण ने अपने प्राथमिक वाद में जतन कवर व रघुनाथ सिंह के सारे संतानो का तथ्य नहीं बताया था। बाद में वाद में रघुनाथ सिंह की पुत्रियो का वाद में जोड़ लिया गया है। यह वाद धारा 88, 89 व 188 RT Act के तहत दायर किया गया है। मुआवज़ा तय करने का क्षेत्राधिकार इस वाद के दायरे में नहीं है। यह तनकी 4 प्रतिवादी के विरुद्ध जाती है। 4) वादीगण ने यह दावा इन्तकाल के 20 साल बाद पेश किया है जो कि काफी लंबा समय है। वादी का कथन है उनको इसकी सूचना 2018 में National Highway की भूमि अवाप्ति दौरान हुई। उपखण्ड अधिकारी रा.[illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादी को यह इन्तकाल की अपील समय रहते कर लेनी चहिए थी परन्तु सारे साक्ष्यो व बयानो को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि फौती इन्तकाल संख्या 685 दिनांक 14/09/1998 गलत तस्दीक हुआ था। न्यायहित में वादी का दावा की उक्त इन्तकाल संख्या त्रुटीपूर्ण है स्वीकार योग्य है। अत: तनको 5 प्रतिवादी के विरुद्ध जाती है।

अत: फौती इन्तकाल संख्या 685 दिनांक 14/09/1998 (ग्राम गोयन्दा) को खारिज किया जाता है व तहसीलदार रामगंजमंडी को यह निर्देश दिया जाता है उक्त इन्तकाल की पुन: जाँच करके नियमनुसार विधिक वारिसान के नाम खाता दर्ज करवाए।

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी